

उपखण्ड अधिकारी अराई  
उममा पुत्र गुरा उम्र 68 साल जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई जिला अजमेर राज  
व अन्य।

मुकाम अराई (अजमेर)

-वादीगण

**बनाम**

करतार पुत्र छगना उम्र करीबन 35 साल जाति जाट निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य  
-प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 88,188,209राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 14 / 2023

ऑनलाइन नंबर 2023 / 19


वकील वादी:- विजेन्द्र सिंह

वकील प्रतिवादीगण.....


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	--

09.03.2023


यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री विजेन्द्र सिंह ने अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज.क्र. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तत्काली जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 28.04.2023 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
अराई

दिनांक 19/4/23। पत्रावली राज्य सरकार व राजस्व मण्डल को पत्रावली के तहत नियत तिथि से पूरा करने के अलावा पत्रावली को नोटिस जारी करने का उपाय करके पत्रावली को सूचित किया गया। पत्रावली को पूर्व दिनांक 24/4/23 को पेश किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
अराई

दिनांक 24/4/23 कोर्ट कैम्प दादिया। पक्षकारान उप./अनु./वकील पक्षी/अपार्थी उप. अनु./पत्रावली कोर्ट कैम्प दादिया में पेश हुई पक्षकारान में समझाईश की गई। परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली सहायक न्यायालय में नियमित कार्यवाही हेतु पुनः दिनांक 28/4/2023 को पेश है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
अराई

28/4/2023

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपखण्ड  
P.O. सा. प्रधान गुरा के तहत अहकाम न 2023 में  
पत्रावली पेश अहकाम नं 06/7/23

तारीख हुक्म

20/11/14 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षाकारण उपर।  
P.O. राज्य चुनाव कार्य/राजकार्य/दी/अवकाश  
पर पेश है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 07/11/15 को पेश हो।

21/11/14 पत्रावली पेश हुई अतः...  
...की ओर से कार्य समाप्त रखा गया।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/11/15 को  
पेश हो।

25/11/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षाकारण उपर।  
प्रतिवादी 1, 3-16...  
पत्रावली दिनांक 30/5/15 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी  
अरांई

30/11/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षाकारण उपर।  
P.O. राज्य चुनाव कार्य/राजकार्य/दी/अवकाश  
पर पेश है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 11/11/15 को पेश हो।

11/11/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षाकारण उपर।  
प्रतिवादी 1, 3-16...  
पत्रावली दिनांक 19/9/15 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
अरांई

19/9/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षाकारण उपर।  
न्यायालय सभ्य ने सुन-सुन कर तीनों का  
आवाज लेना चाहिए किंतु वा तोकना  
रखना नहीं इनके बीच प्रतिनिधि उपर।  
क्या पत्रावली समाप्त करीएय रुकना  
पेशी में खारीय की पारी हो।



चायालय श्रीमान उपर

राज  
उगमा पुत्र  
रिक्कस  
हस्त